

कृष्ण सहाय और अन्य

बनाम

यू. पी. राज्य और अन्य

23 मार्च, 1990

[रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधीश; एम एम पुंछी, न्यायाधीश और के.

रामास्वामी, न्यायाधीश]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1976: सेवा न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय का लाभ नहीं उठाया गया-उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका -क्या संधार्य है -प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना की इच्छा व्यक्त की गई।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं का राज्य द्वारा इस प्रारंभिक आक्षेप पर विरोध करने की मांग की गई थी कि उनके पास 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 17 के तहत स्थापित लोक सेवा न्यायाधिकरण के समक्ष एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। अपीलकर्ताओं ने याचिका दायर की कि न्यायाधिकरण में दावा दायर करना एक पर्याप्त वैकल्पिक राहत नहीं है क्योंकि उसके पास कोई अंतरिम आदेश देने की शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय ने संविधान के

अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।

गुण-दोष पर निपटारे के लिए मामले को लोक सेवा न्यायाधिकरण को भेजते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण, जो राज्य अधिनियम के तहत कार्य करता है, के पास कोई अंतरिम आदेश देने की शक्ति नहीं है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत, जो संविधान के अनुच्छेद 323 - ए के संदर्भ में एक विधान है, सेवा मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को उससे लेकर न्यायाधिकरण में निहित करने का इरादा है। यह भी राज्यों के लिए खुला है कि वह अपने कर्मचारियों के संबंध में सेवा विवादों के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करे। कई राज्यों ने पहले ही उस अधिनियम के तहत अपने स्वयं के न्यायाधिकरण स्थापित कर लिए हैं। [170 बी, 169 एच, 170 सी]

एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ और अन्य। , [1987] 1 एससीसी 124, संदर्भित किया गया।

2. सेवा न्यायाधिकरण के स्थान पर केंद्रीय अधिनियम के तहत एक उपयुक्त न्यायाधिकरण की स्थापना की व्यवहार्यता पर विचार करने के

लिए राज्य को सूझाव दिया जाता है ताकि इस तथ्य के अलावा कि निर्णय के मामले में एकरूपता होगी

उच्च न्यायालय पर सेवा मुकदमों का बोझ नहीं आएगा और विस्तृत शक्तियों के साथ न्यायाधिकरण सभी की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकता है।[170 डी]

3. यदि मौजूदा सेवा न्यायाधिकरण को जारी रखा जाता है तो राज्य को अपनी कर्मचारी व्यवस्था को बदलना चाहिए ताकि न्याय का पर्याप्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए कानून में योग्य लोगों की पर्याप्त संख्या न्यायाधिकरण में आ सकें और न्यायाधिकरण की पीठों के स्थान के विविधीकरण की योजना बनाई जानी चाहिए।

{170 ई-जी)

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6729/1983

(सी एम डब्लू पी सं-7787/ 1979 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के

निर्णय और आदेश दिनांकित 22.3.1983 से।)

शंकर घोष, आर. के. जैन, आर. बी. मेहरोत्रा, सुश्री आभा शर्मा, सुश्री संगीता त्रिपाठी मंडल, आर. पी. सिंह, हरीश एन. साल्वे, डी. के. गर्ग, गोपाल सुब्रमण्यम, श्रीमती शोभा दीक्षित, सी. पी. पांडे, एस. के. सभरवाल, एम. पी. सरवाला, आर. एस. सोढी, डी. डी. गुप्ता, शकील

अहमद सैयद, के. आर. आर. पिल्लई, एम. ए. फिरोज, आर. डी. उपाध्याय, यू. एस. प्रसाद और सी. एम. नायर उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

विशेष अनुमति द्वारा इस अपील को सिविल अपील सं. 776/1984 और 4356/ 1986 के साथ सुना गया। उन दोनों अपीलों का निपटारा उन अपीलों की विषय वस्तु को बनाने वाले विवाद को यू. पी. लोक सेवा न्यायाधिकरण में गुण दोष के आधार पर निपटारे के लिए भेज कर एक सामान्य निर्णय दिनांकित 1 मार्च, 1990 द्वारा किया गया था, और इस अपील में निर्णय सुरक्षित रखा गया था क्योंकि हमारा विचार था कि कुछ प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारा यह दृष्टिकोण था कि हमें उत्तर प्रदेश राज्य को सूझाव देना चाहिए कि वह अपने सेवा न्यायाधिकरण को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बराबर लाये।

जहाँ तक मामले के गुण-दोष की बात है, हमारा मानना है कि इसको भी निपटारे के लिए सेवा न्यायाधिकरण को प्रेषित किया जाना चाहिए और हम निर्देश देते हैं कि न्यायाधिकरण सितंबर, 1990 के अंत तक अपने नियमों के अनुसार मामले का निपटारा करेगा।

शासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 संविधान के अनुच्छेद 323 - ए के संदर्भ में एक विधान है। सेवा विवादों के समाधान के लिए उस अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण की स्थापना करके, ऐसे मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने का इरादा है और उस अधिनियम की योजना के तहत सेवा विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को न्यायाधिकरण में निहित करने का इरादा है। एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, [1987] 1 एससीसी 124 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यही विचार व्यक्त किया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो एक अलग राज्य अधिनियम के तहत कार्य करता है के पास कोई अंतरिम आदेश देने की शक्ति नहीं है। वास्तव में, उस शक्ति के प्रयोग से न्यायाधिकरण को विशिष्ट प्रावधान द्वारा वंचित किया गया है। यही कारण है कि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी कि न्यायाधिकरण में दावा दायर करना एक पर्याप्त वैकल्पिक राहत नहीं है। इस तरह की व्यवस्था में यह प्रचार किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत, राज्य के कर्मचारियों के संबंध में सेवा विवादों के

न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों का गठन करना भी राज्य के लिए खुला है। कई राज्यों ने पहले ही अपने स्वयं के न्यायाधिकरण स्थापित कर लिए हैं। हम उत्तर प्रदेश राज्य को सूझाव देते हैं कि वह वर्तमान में सेवा न्यायाधिकरण के स्थान पर केंद्रीय अधिनियम के तहत एक उपयुक्त न्यायाधिकरण की स्थापना की व्यवहार्यता पर विचार करे ताकि इस तथ्य के अलावा कि सेवा विवादों के निर्णय के मामले में एकरूपता होगी, उच्च न्यायालय पर सेवा मुकदमों का बोझ नहीं आएगा और विस्तृत शक्तियों के साथ न्यायाधिकरण सभी की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकता है।

अगर, 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 17 के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जारी रहता है तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह अपनी कर्मचारी व्यवस्था को बदले और कानून में योग्य लोगों की पर्याप्त संख्या न्यायाधिकरण में शामिल हो ताकि न्याय का पर्याप्त वितरण सुनिश्चित किया जा सके और न्यायाधिकरण के कामकाज में न्यायिक स्वभाव बनाए रखा जाये।

हम पाते हैं कि रिट याचिका संख्या 373/ 1989 में जो इसी प्रश्न के संबंध में है, में इस न्यायालय की एक पीठ ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें लखनऊ पीठ के अलावा इलाहाबाद, मेरठ और आगरा जैसे स्थानों पर पीठों का प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा गया है।

हमारे विचार में, अगर सेवा न्यायाधिकरण जारी रहता है तो यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य को शीघ्र ही न्यायाधिकरण की पीठों के स्थान के विविधीकरण की योजना बनानी चाहिए ताकि पूरे राज्य से सेवा विवादों को केवल लखनऊ में दायर करने की आवश्यकता न रहे और एकल न्यायाधिकरण की वजह से बिना निपटारे के विवादों का ढेर नहीं लगे।

हर्जे खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

पी. एस. एस.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक श्री अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।